

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आदेश

सं० सं०-अ०सं०क०-08-ग-आ०वि०(स्था०)11/2024 (खण्ड-I).....639...../ पटना, दिनांक-23/09/26
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015, पत्रांक-13522, दिनांक-17.11.2021 एवं आदेश संख्या-9871, दिनांक-25.06.2024 में निहित प्रावधानों एवं शर्तों तथा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक-11.09.2026 की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालन्दा, कैमूर, एवं मुजफ्फरपुर (कैम्प विद्यालय-कैमूर) में निम्नांकित सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकों को संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित आवासीय विद्यालय में नियोजित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	संविदा नियोजित शिक्षक का नाम एवं विद्यालय का नाम, जहाँ से सेवानिवृत्त हुए है	पदनाम	जन्म तिथि / सेवानिवृत्ति की तिथि	कोटि	विषय	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मृत्युंजय कुमार सिंह / श्री दुर्गा उच्च विद्यालय सिहौल, पो०-बिहरा, जिला-सहरसा	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2)	30.01.1963 31.01.2023	सामान्य	इतिहास	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालन्दा
2	श्री चन्द्रभूषण सिंह / राजकीय उच्च विद्यालय, बलिया विक्रमपुर, सकरी पूर्वी, मधुबनी	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2)	05.01.1963 31.01.2023	सामान्य	अर्थशास्त्र	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर (कैम्प विद्यालय-कैमूर)
3.	श्रीमती उषा कुमारी / Govt. M.S. Kalisthan Maslalami, Mangaltalab, Patna City, Patna	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2)	15.03.1963 31.03.2023	अनु० जाति	राजनीति शास्त्र	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैमूर
4.	मो० इसलाम / पी०एम० श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय, अकौना, पटना	माध्यमिक शिक्षक	06.02.1962 28.02.2022	सामान्य	उर्दू	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालन्दा
5.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद / आदर्श राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, हथुआ	माध्यमिक शिक्षक	05.07.1963 31.07.2023	पिछड़ा वर्ग	हिन्दी	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर (कैम्प विद्यालय-कैमूर)
6.	कुमारी ललिता सिंहा / U.H.S मिर्जाहाट भागलपुर	माध्यमिक शिक्षक	16.12.1961 31.12.2021	पिछड़ा वर्ग	हिन्दी	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालन्दा

2. श्री बैद्यनाथ प्रसाद, सहायक शिक्षक (सेवानिवृत्त) का आरोप एवं दण्ड संबंधी प्रमाण-पत्र अप्राप्त है। अतएव श्री बैद्यनाथ प्रसाद को इस शर्त के साथ संविदा के आधार पर नियोजन किया जाता है कि आरोप एवं दण्ड संबंधी प्रमाण-पत्र योगदान समर्पित करने के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्यथा संविदा के आधार पर किये गये नियोजन को रद्द समझा जाएगा।

3. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3 (2)(क) (v) तथा 3 (2)(ख) (v) के तहत प्रावधानित अवधि के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा अथवा आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत उनका सेवा विस्तार अधिकतम निर्धारित उम्र तक के लिए किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा-विस्तार सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत संकल्प ज्ञापांक-3978, दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-5 के आलोक में विभाग स्तरीय चयन समिति की सहमति से संकल्प के तहत निर्धारित उम्र तक किया जा सकेगा।
4. संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3 (5) के तहत योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (मूल में) एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. संविदा नियोजित कर्मियों को देय मासिक मानदेय का निर्धारण संकल्प की कंडिका-(3)(6)(i) तथा (3)(7)(iii) के आलोक में किया जायेगा तथा अन्य सेवा शर्त का निर्धारण संकल्प के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०-1012 दिनांक-27.01.2022 के आलोक में संविदा नियोजन के उपरांत भी योगदान की तिथि तक सेवानिवृत्त कर्मियों के विरुद्ध सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहत् दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्षों में कोई दण्ड (लघु/वृहत्) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित होने का मामला यदि संज्ञान में आता हो तो वैसी परिस्थिति में नियोजित कर्मियों के द्वारा दिये गये योगदान को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।
7. यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी है। संविदा नियोजन के पश्चात किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
8. संविदा नियोजन आदेश के आलोक में संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा उक्त पद पर योगदान करने की तिथि से संविदा नियोजन/संविदा अवधि-विस्तार प्रभावी होगा।
9. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-5 के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।
10. संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के मानदेय का भुगतान मुख्य शीर्ष-2225, उप मुख्य शीर्ष-04 अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0001-आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड-30-2225042770001, 28-02 संविदा सेवाएँ मद में उपबंधित बजट से विकलनीय होगा।
11. संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की मानदेय एवं अन्य राशि की निकासी संबंधित जिला के उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी।
12. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
13. संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक के द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों तक अनिवार्य रूप से योगदान विभाग/संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद उनका नियोजन स्वतः रद्द समझा जाएगा।
14. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(इब्रार अहमद खॉं) मा० प्र० से०

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक- सं० सं०-अ० सं० क०-08-ग-आ० वि० (स्था०) 11/2024 (खण्ड-1)...../

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- सं० सं०-अ०सं०क०-08-ग-आ०वि०(स्था०)11/2024 (खण्ड-I)...../ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ज्ञापांक- सं० सं०-अ०सं०क०-08-ग-आ०वि०(स्था०)11/2024 (खण्ड-I)...../ पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ज्ञापांक- सं० सं०-अ०सं०क०-08-ग-आ०वि०(स्था०)11/2024 (खण्ड-I)...../ पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- प्रधानाध्यापक, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालन्दा, कैमूर एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ज्ञापांक- सं० सं०-अ०सं०क०-08-ग-आ०वि०(स्था०)11/2024 (खण्ड-I)...../ पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- 1. श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, वार्ड नं०-04, औकरा चौक सन्त नगर, पोस्ट+थाना+जिला-सहरसा, पिन कोड-852131 2. श्री चन्द्रभूषण सिंह, ग्राम-नरपतिनगर, पोस्ट- नरपतिनगर, थाना-सकरी, जिला-मधुबनी, पिन कोड-847239 3. श्रीमती उषा कुमारी, ग्राम-4M/124, Bahadurpur Housing Colony पो०-B.H. कॉलोनी, थाना-अगमकुआँ, जिला-पटना, पिन कोड-800026 4. मौ० इसलाम, ग्राम-दनाड़ा, पो०-दौलतपुर, थाना-भगवानगंज, जिला-पटना, पिन कोड-804452 5. श्री बैद्यनाथ प्रसाद, ग्राम-सतकोठवाँ, पो०-साखे खास, थाना-उचकागाँव, जिला-गोपालगंज, पिन कोड-841438 6. श्रीमती कुमारी ललिता सिन्हा, ग्राम-12 सेक्टर 8 बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड, पो०+थाना-बरारी, जिला-भागलपुर, पिन कोड-812003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

ज्ञापांक- सं० सं०-अ०सं०क०-08-ग-आ०वि०(स्था०)11/2024 (खण्ड-I)...../ पटना, दिनांक-23/09/26
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

निबंधित